राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

नरसिंह बनाम राजुसिंह आदि

पत्रावली संख्या 24/2020 विषय–धारा 225 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
02.02.2021	पत्रावली पेश हुई । अपीलांट एवं अपीलांट अभिभाषक व रेस्पोडेंट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थित । अपीलांट द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह यह अपील आगे नही चलाना चाहता है इसलिये अपील को विड्रा करने के आदेश प्रदान करावें क्योंकि मेरे और पुत्र के मध्य राजीनामा हो गया है । शपथ पत्र के द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 अभिभाषक के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दिनांक 22.12.2020 को नवीन सारस्वत अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र के जवाब के संबंध में स्वयं एवं आपस पडोस के मोजिज व्यक्तियों के बयान व रगीन फोटो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादित खेत पर नरसिंह व उसके पुत्र राजुसिंह का कब्जा काश्त है एवं पुख्ता रिहायसी ढाणी बनी हुई है । श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामकिशन जाति ब्राहमण पारीक निवासी नोखा द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये तथाकथित विक्रय पत्र में वर्णित रकम में से नरसिंह को खेत की कोई रकम नही दी गई है तथा कब्जा काश्त आज दिन भी नरसिंह और राजुसिंह के पास है । कब्जा हस्तातंरण नही होने के कारण तथाकथित फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर हस्तगत प्रकरण में किसी अजनबी व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया जा सकता है । श्री अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र [illegible] नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के प[illegible]न किया कि विवादित कृषि भूमि ख0नं0 323 [illegible] बीघा जिसके नये ख0नं0 536/3 तादादी 1.6694 हैक्टयर अपीलांट [illegible]शुद्धा कृषि भूमि है जिसे प्रार्थीया गायत्री देवी पत्नी रामकिशन द्वारा नरसिंह से क्रय कर ली गयी है जिसे कार्यालय उपपंजीयक बीदासर जिला चूरू के बैयनामा दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्व करवा खरिद शुद्वा कृषि भूमि की एक मात्र मालिकिन कब्जा काश्तकार है । यदि अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य समझौता हो जाता है तो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी का नियम 10 धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य नही रहेगा व उसे ना पुरा होने वाला नुकशान उठाना पडेगा अतः आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीनी को पक्षकार बनाया जावे ।

अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र बहस सुनी गयी । अभिभाषक प्रार्थीया ने अपनी बहस में बताया की अपीलांट नरसिंह द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि तादादी 1.6694 हैक्टयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 11.09.20 को गायत्री देवी पत्नी रामकिशन के नाम कार्यालय उपपंजीयक बीदासर में पंजीबंद्व करवा दिया गया है अब प्रार्थीनी उक्त विवादित भूमि की क्रय शुद्वा काश्तकार होने के कारण प्रार्थीनी पक्षकार बनने की अधिकारी है । अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने बहस के समर्थन में आरआरडी 1978 अपील न0 179 प्रमसुख बनाम सरकार पृष्ठ सं0 482–83 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि कोई काश्तकार/पक्षकार निर्णय से प्रभावित होता है तो वो अपील/वाद करने का अधिकारी होता है चाहे वो अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना हो ।यदि गायत्री देवी को पक्षकार नही बनाया जाता है तो वो न्याय से वंचित रह जायेगी । यहां गायत्री देवी पत्नी रामकिशन विवादित भूमि में जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से कृषि भूमि को क्रय की हुई है व इनका हक भी प्रभावित होता है । उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीर, बहस एव दलीलो पर मनन के पश्चात यह न्यायालय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करता है तथा अपील विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है । नागरिक प्रक्रिया सहिंता के आदेश–1 नियम 10 सपठित धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुऐ अलग से नई अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।

निण[illegible] की लिखाया जाकर खुले न्यायालय में स[illegible] ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:46:30 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] खराड़ी)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर